

प्रेस-विज्ञप्तिथाना कन्धरापुरअवैध देशी तमंचा व कारतूस के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 27.07.2022 को उ0नि0 रतन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा ग्राम जोलहापुर भटठा ईंट के मोड़ पर पहुँचे थे कि सूचना मिली कि एक व्यक्ति बिना नम्बर कि मो0सा0 से भोरा मकबूलपुर कि ओर से आ रहा है। उसके पास नाजायज असलहा भी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस आने वाले व्यक्ति का इन्तजार करने लगे, एक व्यक्ति आता हुआ दिखायी दिया जिसे पुलिस वालों ने घेर कर पकड़ लिया तथा नाम पता पूछने पर अपना नाम रामचेत निषाद पुत्र मोतीलाल निषाद निवासी भोरा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ बताया और उसके कब्जे से एक अदद तमंचा .303 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर (प्रतिबन्धित बोर) बरामद हुआ। अभियुक्त समय 13. 35 बजे अभियुक्त को मय नजायज असलहा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 186/2022 धारा 7/25 (1-क) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

रामचेत निषाद पुत्र मोतीलाल निषाद निवासी ग्राम भोरा मकबूलपुर, थाना कन्धरापुर, आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 186/2022 धारा 7/25 (1-क) आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0. 115/2020 धारा 379 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0. 06/2022 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0. 186/2022 धारा 7/25 (1-क) आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 06/2021 धारा 379 भादवि थाना कप्तानगंज आजमगढ़

बरामदगी- एक अदद देशी तमंचा .303 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर (प्रतिबन्धित)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रतन कुमार सिंह हे0का0 दुर्गेश कुमार पाल का0 उपेन्द्र कन्नौजिया थाना कन्धरापुर, आजमगढ़

थाना- रौनापार02 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – वादीनी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 181/2022 धारा 376/504/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम 1. विशाल सोनकर पुत्र चन्द्रिका सोनकर 2. चन्द्रिका सोनकर पुत्र कुमार सोनकर 3. विशाल की माँ पत्नी चन्द्रिका सोनकर साकिनान बभनौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण..... निरीक्षक अपराध श्री अवधेश कुमार अवस्थी मय हमराह फोर्स के आज दिनांक 27.07.22 को दौराने दबिस से अभियुक्तागण (1) श्रीमती मैना पत्नी स्व0 भागवत सोनकर उम्र करीब 58 वर्ष (2) वन्दना सोनकर पत्नी दुर्गा सोनकर उम्र करीब 22 वर्ष निवासी काजीगांव डिघवनिया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के मकान के सामने से समय करीब 12.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 181/22 धारा धारा 376/504/506/120बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्तगिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता:-

- (1) श्रीमती मैना पत्नी स्व0 भागवत सोनकर उम्र करीब 58 वर्ष
- (2) वन्दना सोनकर पत्नी दुर्गा सोनकर उम्र करीब 22 वर्ष निवासी काजीगांव डिघवनिया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. नि0अ0 श्री अवधेश कुमार अवस्थी उ0नि0 सूर्यभान सिंह का0 अनिल कुमार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. म0का0 वन्दना गौतम म0का0 ममता यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

## थाना- निजामाबाद

### किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

**1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण** – दिनांक 26.7.22 को वादिनी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि वादिनी की पुत्री के साथ स्कूल जाते समय दीपक मौर्या पुत्र रामप्रकाश उर्फ जयप्रकाश मौर्या ग्रा0 कोडर थाना निजामाबाद आजमगढ़ झूठ बोलकर कहीं अन्य जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 325/22 धारा- 363/376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

**2. गिरफ्तारी का विवरण** - उ0नि0 धनन्जय प्रसाद शुक्ला मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त दीपक मौर्या पुत्र रामप्रकाश उर्फ जयप्रकाश मौर्या ग्रा0 कोडर थाना निजामाबाद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से समय करीब 12.45 बजे हिरासत पुलिस मे लेकर वापस थाना आये। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

#### पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 325/22 धारा- 363/376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास – उपरोक्त अभियोग

गिरफ्तार अभियुक्त- दीपक मौर्या पुत्र रामप्रकाश उर्फ जयप्रकाश मौर्या ग्रा0 कोडर थाना निजामाबाद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला का0 कमलेश कुमार का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना निजामाबाद, आजमगढ़

## थाना- रौनापार

### छेड़खानी के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण** – वादिनी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 256/22 धारा 354 भादवि बनाम विकास चौहान पुत्र रामबली चौहान निवासी महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कराया था जिसकी विवेचना उ0नि0 गोपाल प्रदा मौर्य को दिया गया। बयान वादिनी के 161 सीआरपीसी व 164 सीआरपीसी के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 354 भादवि का लोप किया गया तथा धारा 354घ भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट की बढोतरी किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण**..... उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्य मय हमराह फोर्स द्वारा दिनांक- 27.07.22 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विकास चौहान पुत्र रामबली चौहान निवासी महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को काखभार चौराहे के पास से समय करीब 7.50 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

#### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 256/22 धारा 354घ भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विकास चौहान पुत्र रामबली चौहान निवासी महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

3. उ0नि0 गोलाप प्रसाद मौर्य का0 मुरारी जायसवाल का0 अरुण कुमार यादव रौनापार जनपद आजमगढ़

## थाना- रौनापार

### 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

**1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण** – वादिनी थाना रौनापार आजमगढ़ तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 224/2022 धारा 376/504/506 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम (1) प्रद्युम्न चौहान पुत्र गोपाल चौहान (2) गोपाल चौहान पुत्र बलिकरन (3) प्रद्युम्न की माता नाम अज्ञात निवासीगण ग्राम बैजावारी थाना रौनापार आजमगढ़ के पंजीकृत कराया था जिसकी विवेचना मुझ थानाध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय द्वारा संपादित की गयी । दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 27.07.22 को समय 7.45 बजे सुबह बाजार गोसाईं अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान पुत्र गोपाल चौहान सा0 असरफपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

**2. गिरफ्तारी का विवरण**..... थानाध्यक्ष अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह फोर्स द्वारा दिनांक 27.07.22 को बाजार गोसाईं तिराहा से अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान पुत्र गोपाल चौहान सा0 असरफपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 7.45 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 224/22 धारा 376/504/506 भादवि व 3/4 डी0पी0 थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

प्रद्युम्न चौहान पुत्र गोपाल चौहान सा0 असरफपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

4. एसओ श्री अखिलेशचन्द पाण्डेय का0 अनिकेत शुक्ला का0 राजू सिंह रौनापार जनपद आजमगढ़